

## प्रेस नोट दिनांक-25.05.2021

(1). 30प्र0 शासन द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला कल्याण एवं बाल विकास के लिए चलाये जा रहे मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में दिनांक 25.05.2021 एंटी रोमियो टीम थाना बरगढ़ जनपद चित्रकूट पाण्डेय मार्केट व बैंक में, एंटी रोमियो टीम थाना राजापुर चित्रकूट द्वारा कस्बा राजापुर हनुमान मंदिर में, एंटी रोमियो टीम थाना भरतकूप के द्वारा कस्बा भरतकूप के भरतकूप मंदिर रोड, भरतकूप स्टेशन रोड, कस्बा में, एंटी रोमियो टीम महिला थाना द्वारा गंगाजी रोड, भैंरोपागा, पुरानी कोतवाली चौराहा में भ्रमण कर महिलाओं/बालिकाओं को मास्क लगाने हेतु जागरूक किया तथा बाहर निकलने वाले व्यक्तियों बाहर निकलने का कारण पूछा तथा शासन द्वारा लागू लॉकडाउन का पालन करने हेतु बताया गया। सभी से अपील की कोई भी अनावश्यक रूप से अपने घर से बाहर न निकलें/घूमें कोरोना वायरस से अपने व अपने परिवार को बचाये। महिला आरक्षियों द्वारा महिलाओं/बालिकाओं को वीमेन पावर लाइन 1090, महिला हेल्पलाइन 181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, पुलिस आपातकालीन सेवा 112, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, स्वास्थ्य सेवा 102, एम्बुलेंस सेवा 108 एवं अपने-अपने थाना के सीयूजी नम्बर के बारे में विस्तृत जानकारी देकर जागरूक किया साथ ही मास्क लगाने एवं कोविड-19 के नियमों का पालन करने हेतु बताते हुये कोरोना वैक्सीन के प्रति जागरूक किया गया।

(2). दिनांक 24.05.2021 को जिलाधिकारी चित्रकूट श्री शुभ्रांत कुमार शुक्ला, पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अंकित मित्तल द्वारा जिलाकारागार का निरीक्षण किया गया। इस दौरान कोविड-19 के दृष्टिगत माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके सजायावी बंदियों को छोड़ने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक महोदय की अध्यक्षता में डाक्टर्स, जेल अधीक्षक, उपजिलाधिकारी सदर, क्षेत्राधिकारी सदर के साथ गोष्ठी कर रिपोर्ट भेजी गयी।

इस दौरान उपजिलाधिकारी सदर श्री रामप्रकाश, क्षेत्राधिकारी सदर श्री शीतला प्रसाद पाण्डेय, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री वीरेन्द्र त्रिपाठी, पीआरओ श्री दिनेश कुमार सिंह उपस्थित रहे।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में श्री अवधेश कुमार मिश्रा प्रभारी निरीक्षक थाना पहाड़ी के मार्गदर्शन में थाना पहाड़ी पुलिस द्वारा 03 अभियुक्तों को 20 लीटर कच्ची शराब व 20 अदद क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया।

(i). 30नि0 श्री दीपक कुमार यादव तथा उनकी टीम द्वारा बिसण्डा तिराहा के पास से अभियुक्त राजबहादुर पुत्र श्यामलाल निवासी कलवारा खुर्द थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट को 20 अदद क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना पहाड़ी में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

बरामदगी/गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1. 30नि0 श्री दीपक कुमार यादव थाना पहाड़ी

2. आरक्षी दीपक कुमार

(ii). 30नि0 श्री राजेश कुमार यादव तथा उनकी टीम द्वारा तौरा तिराहा के पास से अभियुक्त (1) संदीप कुमार पुत्र सुरेश (2) मनोज सिंह पुत्र चुन्ना सिंह निवासीगण तौरा थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट को 10-10 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के विरुद्ध थाना पहाड़ी में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

बरामदगी/गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1. 30नि0 श्री राजेश कुमार यादव थाना पहाड़ी

2. आरक्षी दिनेश कुमार

3. आरक्षी नारेन्द्र कुमार

(4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में परिवारिक रिश्तों को बचाने हेतु किये जा रहे प्रयासों के क्रम में पुलिस कार्यालय में स्थापित परिवार परामर्श केन्द्र द्वारा पति-पत्नी के आपसी झगड़े को समाप्त कराकर आपस में सुलह कराते हुये परिवार को टूटने से बचाया ।

उल्लेखनीय है कि श्रीमती बकरिदिया पत्नी स्व० मनौवर अली निवासी दुबारी थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट द्वारा पुलिस अधीक्षक महोदय को प्रार्थना पत्र दिया गया कि उसकी बहू व बेटा आपस में मारपीट करते है एवं ठीक तरह से नहीं रहते है । पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु पुलिस कार्यालय स्थित परिवार परामर्श केन्द्र को निर्देशित किया गया। प्रभारी परिवार परामर्श केन्द्र में नियुक्त उ०नि० श्री बैजनाथ यादव, महिला आरक्षी मंजूलता पाल द्वारा श्रीमती बकरिदिया उपरोक्त के बेटे इब्रान अली व बहू सुबरातन को कार्यालय बुलाया गया । दोनों पक्षों की समस्याओं को सुनकर, समझाया गया । भविष्य में विवाद न करने एवं आपस में मिलजुल कर रहने हेतु कहा। इस तरह दोनों पक्षों द्वारा दिनांक 25.05.2021 को आपस में साथ-साथ रहने हेतु सहमत हो गये । परिवार परामर्श टीमस द्वारा पति-पत्नी को आपस में सामन्जस्य बिठाकर सही प्रकार से निर्वहन करने हेतु सलाह दी गयी ।